


3/17
 पत्रावली अनुक्रम केम्प कोर्ट दर्ज्जर में पेश हुई।
 जर्घी एवं अपार्घी वावजूद सूचना के अनुपालित।
 पत्रावलीमदिनांक 2.1.12 को अपार्घीगण का
 जवाब संलग्न है परंतु आज रिनांक तक
 ब्रह्म नहीं की गई। पटवारी हल्का के श्री ब्रह्मान
 लिए गए। सरपंच दर्ज्जर से श्री लिहमणाराम
 के परिवार में बारे में पूछा गया। पत्रावली
 का गुणावगुण एवं लोक अदालत की जावना
 से अवलोकन किया गया। जर्घी द्वारा चाही
 गई ग्लिफ एवं अपार्घी के जवाब का अवलोकन
 किया गया। विवादित भूमि ग्राज 4 दईजर के
 खसरा न-12 रकबा 11.18 बीघा, खसरा न-14
 रकबा 9 बीघा, खसरा न-29 रकबा 30 बीघा
 खसरा न-36 रकबा 34 बीघा के संबंध
 में जर्घीनी के पक्ष में प्रथमपुस्तक
 कुरणीय सति व सुविधा के अनुदान के विंदु
 र 8 ताकतला मूल वाद जर्घीनी के हक
 में हिले तक की भूमि का आगे लेयन
 के



जज का कार्यवाही भय इनिशियल्स

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज

नही करने, हतान्तरण एवं खुदबुद नहीं उसे
व राजस्व रिजर्व की यथास्थिति बनाए रखने
हेतु दोनों ही पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा
से पाबंद किया जाता है। पत्रावली क्र. 200/2017
को उर नम्बर से कम हो उर मूल पाद से
नहीं हो।

३

उपायुक्त जज एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
कंसल

